

11.3.24

वकील वाडी उपस्थित। वाडी द्वारा जारी वकील उपस्थित-
 पत्र फेरवा वाड-पत्र में राजीनामा हो जाने पर
 वाडी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं पाहता है।
 वाड-पत्र विद्रा करने का विकल्प रिदा। वाडी
 द्वारा वाड-पत्र विद्रा करने पर इसी तरह वाड-
 पत्र ररारिज रिदा जात है तथा दिनांक 9.10.23
 को आंशिक स्वीकार अस्थाई निवेदना भी खालि
 की गयी है। वाडी उपस्थित वाडी की पहचान
 श्री कुल्ले कुधाल Adv द्वारा की गई। पत्रावली
 गंकर के कर होकर पत्रावली डायल उपकर है।

जयपुरा

आदेश कर इजलास हुआ गया।

उपखण्ड अधिकारी
 सूरतगढ़ (राज.)